दून विश्वविद्यालय, देहरादून

प्रथम अपीलीय अधिकारी कार्यालय

संख्याः 182/138/डी.ए.ए./24

अपील संख्या : 63 दिनांकः 15 मार्च 2024

अपील अन्तर्गत धारा–19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

समक्ष– डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल, प्रथम अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

अपीलकर्ताः श्री अनु पन्त, चैम्बर न0 02 सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, देहरादून।

प्रतिवादीः
1. लोक सूचना अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
2. प्रो0 कुसुम अरूणाचलम, सम्बन्धित परियोजना निदेशक।
3. सहायक लोक सूचना अधिकारी (वित्त), दून विश्वविद्यालय, देहरादून।

श्री अनु पन्त द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड, केदारपुर, देहरादून को अपीलीय पत्र प्रेषित किया गया जो 19.02.2024 को विभागीय अपीलीय अधिकारी कार्यालय में प्राप्त हुआ।

उक्त अपील को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील के रूप में स्वीकार करते हुये अपील संख्या 63 के रूप में पंजीकृत किया गया। उक्त अपील पर सुनवायी हेतु 13 मार्च 2024 सांय 4:00 बजे की तिथि एवं समय निर्धारित करते हुये उभयपक्षों को आदेश संख्या 151/138/DDA/DU/2024 दिनांक 05.03.2024 के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय पर सुनवायी हेतु उपस्थित होने के आदेश जारी किये गये।

निर्धारित तिथि को सुनवायी के समय अपीलार्थी उपस्थित नहीं रहे। प्रतिवादी लोक सूचना अधिकारी, श्री नरेन्द्र लाल, सहायक लोक सूचना अधिकारी (वित्त) श्री रोहित जोशी सुनवायी के समय उपस्थित रहे। परियोजना निदेशक प्रो0 कुसुम अरूणाचलम उपस्थित नहीं हुयी।

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील पत्र दिनांक रहित, सूचना प्राप्त करने के मूल आवेदन पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना (पत्र स0 PIO/11/2024 दिनांक 16.02.2024 संलग्नकों सहित) तथा प्रतिवादी प्रो0 कुसुम अरूणाचलम के लिखित अभिकथन दिनांक 13.03.2024 को कार्यवाई हेतु पत्रावली का भाग बनाते हुये अपील प्रक्रिया संचालित की गयी, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

1. श्री अनु पन्त चैम्बर न0 02 सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड, कोर्ट कॉम्प्लेक्स, देहरादून द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 7 बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी थी। प्रतिउत्तर में लोक सूचना अधिकारी द्वारा 07 बिन्दुओं पर सूचना का विवरण बिन्दुवार तालिका में उल्लिखित करते हुये अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी।
2. लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अपने अपील पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सम्बन्धित सूचनायें प्रदान नहीं की गयी है तथा नहीं देने के पीछे भ्रामक कहानी बनाई है।

अपील का विवरण–

बिन्दु सं0 1– दून विश्वविद्यालय द्वारा हंस फाउन्डेशन को जमा किये गये रिसर्च प्रोजेक्ट की प्रति।
प्राप्त उत्तर– प्रो0 कुसुम अरुणाचलम द्वारा पी0आई0ओ0 के माध्यम से लिखा गया कि यह उसकी इन्टेलैक्चुअल प्रोपर्टी है जिसे वह नहीं दे सकती है।

महोदय जब रिसर्च प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया तो इसके बाद उसे आवश्यक दिया जा सकता है। कृपया मुझे उक्त प्रति उपलब्ध करायी जाय।

बिन्दु सं0 6– इस रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत व्यय की धनराशि में जितने चैक धनराशि आहरण के लिये प्रयोग में लाये गये उनका प्रति चैक का विवरण, कैश बुक, जिसमें किसके नाम चैक काटा गया है एवं वाउचर्स जिनके सापेक्ष धनराशि आहरित हुयी है की प्रति।

प्राप्त उत्तर– यह तीसरी पार्टी की इन्फारमेशन है नहीं दी जा सकती है।

उक्त इन्फारमेशन कैसे थर्ड पार्टी हो सकती है। यह खुलेआम दूसरों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसमें कोई थर्ड पाटी नहीं है। आप मुझे सूचना दिलाने की कृपा करें।

बिन्दु 7– प्रारम्भ से लेकर अभी तक जितने लाभार्थियों को किसी भी रूप में इस रिसर्च प्रोजेक्ट की धनराशि में से कोई भी भुगतान हुआ हो उसके बिल वाउचर्स की प्रति तथा प्राप्ति की प्रकृति कैश अथवा उनके खाते में। यदि खाते में जमा किया गया तो उसके बाउचर्स इत्यादि।

प्राप्त उत्तर– प्रो0 कुसुम अरुणाचलम द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी सीधा लाभार्थी आइडेन्टिफाइड नहीं थे। The farmers were helped by linking them with different government schemes and by providing technical support. The project did not have any provision for direct funding to the farmers/beneficiaries.
यहां पर सूचना देने के बजाय भ्रामक तथ्य अंकित किये गये हैं। मैने डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट की बात ही नहीं की है। फार्मर की भी बात नहीं की है। जिसको भी इस प्रोजेक्ट से भुगतान हुआ है वह लाभार्थी है। किसको कितना भुगतान हुआ है उसके बिल बाउचर्स की प्रति तथा प्राप्ति की प्रकृति कैश अथवा उनके खाते में। यदि खाते में जमा किया गया है तो उसके बाउचर्स इत्यादि।

यह भी अवगत कराना है कि पी0आई0ओ0 ने जो जानकारी दी है वे भी बिना प्रमाणित किये दी हैं उनमें कहीं पर भी उनके हस्ताक्षर नहीं हैं।

3. उपरोक्त अपील पत्र पर सुनवायी से पहले दिनांक 13.03.2024 को सम्बन्धित परियोजना निदेशक प्रो0 कुसुम अरुणाचलम द्वारा अपील के बिन्दुओं पर अपने लिखित प्रतिउत्तर में अवगत कराया कि–

   1. Please note that this project is founded by the Hans Foundation/Rural India Trust which is a private entity. Not a single penny of public money has been spent on this project, therefore it is not covered under the RTI Act as per section 2(h)(ii). As per the provision of the funding agency the quarterly audited UC and progress report has been submitted to them. However, since the project was implemented at Doon University, if required, whatever information the university has about the project can be shared with the person seeking the information.

   2. Regarding the project proposal copy, it is indeed the intellectual property of the Program Manager, Dr. Vivek Joshi who has conceptualized the project and therefore is protected under section 8(d) of RTI Act, 2005, Doon University can seek his opinion whether he would like to share the document?

   3. Regarding the third party, (all the staff hired in this project worked as consultant and their TDS was deducted at source), The Doon University should inform them about their opinion whether they would like to share the information by given them the stipulated time as per the provision of RTI Act, 2005.

4. **प्रथम अपीलीय अधिकारी–**

अपीलार्थी ने सूचना दून विश्वविद्यालय से मांगी है न कि किसी फंडिग एजेंसी से। जब कोई धनराशि किसी के भी द्वारा दून विश्वविद्यालय के खाते में प्राप्त होती है तो वह राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय की धनराशि में सम्मिलित हो जाती है। विश्वविद्यालय के खाते से जो भी धनराशि आहरित हुयी है वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(h) (ii) के अन्तर्गत नहीं आंकी जा सकती है।

अपीलीय बिन्दु संख्या 1, पी0आई0 द्वारा जमा रिसर्च प्रोजेक्ट फंडिग एजेंसी के मूल्यांकन के बाद जब परियोजना अवार्ड हो चुकी है साथ ही इसको चलाने के लिए धनराशि वि0वि0 कोष में प्राप्त हो चुकी है, इसके बाद यह दून विश्वविद्यालय का दस्तावेज है। प्रो0 कुसुम अरूणाचलम, परियोजना निदेशक को यह सूचना लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से अपीलार्थी को समय से देनी चाहिए थी।

बिन्दु संख्या 6 एवं 7 के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ने दून विश्वविद्यालय परियोजना निदेशक, प्रो0 कुसुम अरुणाचलम को 5(4) के अन्तर्गत अपीलार्थी का निवेदन पत्र सूचना देने हेतु हस्तान्तरित किया था। स्पष्ट किया जाता है कि यह ***पर व्यक्ति*** (Third party) से सम्बन्धित सूचना नहीं है न ही बिन्दु संख्या 6 एवं 7 पर प्रो0 कुसुम अरुणाचलम द्वारा तत्समय सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11(1) के तहत कोई कार्यवाही की गयी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(5) के अन्तर्गत समय से पत्र पर अधिनियम के अनुसार कार्यवाही एवं सूचना देने की जिम्मेदारी परियोजना निदेशक की थी जो कि उन्होंने नहीं दी।

प्रो0 कुसुम अरुणाचलम, सम्बन्धित परियोजना निदेशक, दून विश्वविद्यालय को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के निवेदन पत्र बिन्दु संख्या 1, 6 एवं 7 में मांगी गयी सूचना आदेश प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करायें।

लोक सूचना अधिकारी श्री नरेन्द्र लाल, सहायक लोक सूचना अधिकारी (वित्त) श्री रोहित जोशी ने जो सूचनायें दी हैं वह सत्यापित नहीं थी जबकि सभी सूचनायें सत्यापित होनी चाहिए थी।

लोक सूचना अधिकारी को यह आदेशित किया जाता है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि दी जाने वाली सूचना का प्रत्येक पृष्ठ सत्यापित हो तथा उस पर लो0सू0अ0 की स्टैम्प के साथ हस्ताक्षर हों। भविष्य में भी इस बात का ध्यान रखें।

5. विभागीय प्रथम अपील उपरोक्तानुसार विचार करते हुए निस्तारित तथा निक्षेपित की जाती है।
6. आदेश की प्रति उभयपक्षों को ई–मेल या पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाये।

पत्रावली संचित की जाये।

आज दिनांक 13/03/2024 को हस्ताक्षरित

(डा0 एम0एस0 मन्द्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दून विश्वविद्यालय, मोथरोवाला रोड़, केदारपुर, पो0ओ0
डिफेंस कालोनी, देहरादून
ईमेल registrar@doonuniversity.ac.in
फोन न0 0135-2533136/ 115

नोट : *अपीलार्थी उक्त निर्णय से संतुष्ट न होने की दशा में प्रथम अपील के इस निर्णय के प्राप्ति तिथि से 90 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, मसूरी वायपास, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून में द्वितीय अपील कर सकते हैं।*